यायालय उपखण्ड़ अधिकारी कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी दीनानाथ बबल, कार्यवाहक उपखण्ड अधिकारी (आर.ए.एस.)

ुकरण सं 04/2019 / 2055-55A   निर्णय दिनांक:– 20/09/19

सरकार   ....प्रार्थी

बनाम

श्री व्यवस्थापक लेम्पस कुशलगढ
उचित मुल्य दुकानदार वार्ड सं 1 व 3
नगरपालिका कुशलगढ तह. कुशलगढ   ....अप्रार्थी

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी नगरवासी कुशलगढ ने राशन कार्ड के साथ उपखण्ड कार्यालय में उपस्थित होकर मौखिक एवं लिखित शिकायत पेशकर निवेदन किया था कि अप्रार्थी श्री व्यवस्थापक लेम्पस कुशलगढ, उचित मुल्य दुकानदार वार्ड सं 1 व 3 नगरपालिका कुशलगढ द्वारा राशन देने मे भ्रष्टाचार करते हुए विगत कई माह से राशन देने से इंकार करने तथा सप्लाई न आने का बहाना करते हुए कालाबाजारी कर रहा है। प्राप्त शिकायत की जॉच करने पर प्रथम दृष्टया इनके द्वारा गंभीर अनियमितताएं पाये जाने पर कार्यालय के आदेश क्रमांक:– रसद/2019/100–104 दिनांक:– 16.01.2019 द्वारा श्री व्यवस्थापक लेम्पस कुशलगढ उ.मु.दुकान वार्ड सं 1 व 3 का प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेश तक निलम्बित किया जाकर प्रवर्तन निरीक्षक कुशलगढ को प्राप्त शिकायत की विस्तृत जॉच हेतु संमसख्यक पत्र द्वारा लिखा गया। प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट द्वारा बताया कि मौका जांच दिनांक:–07.02.2019 को लेम्पस कुशलगढ पहुंचे पर पाया कि उचित मुल्य दुकानदार के माल गौदाम एवं ऑफिस के ताले सीलबंद मिले। इस संबंध में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी से सम्पर्क करने पर बताया गया कि श्रीमान तहसीलदार श्री रामकिशन मीणा द्वारा सील करने की कार्यवाही की गयी है। श्रीमान तहसीलदार द्वारा सील खोलने हेतू कहने पर प्रबंध निदेशक सहकारी संस्था बांसवाडा के आने पर ही खोलने हेतू कहा गया। इस कारण दिनांक 07.02.2019 को कार्यवाही नहीं हो सकी। दिनांक 27.02.2019 को पूनः जांच करने पर लेम्पस कुशलगढ मे उपस्थित श्रीमान रामकिशन मीणा तहसीलदार, भू.अ.नि. सरदारसिंह, पटवारी मोहनलाल गरासिया, व्यवस्थापक के पुत्र श्री सिद्धार्थ सिंह, लेम्पस उपाध्यक्ष महावीर कोठारी, व्यवस्थापक लेम्पस उंकाला श्री हिम्मत सिंह, लेम्पस बडीसरवा श्री राजदिप सिंह एवं अस्थायी वितरण व्यवस्था लगाए गए वार्ड सं 2,6 एवं 7 के उ.मु.दू. श्री लक्ष्मीकांत पिता श्री दाडमचंद की उपरिथति में सील ताले खोलने के पश्चात् आफिस में निम्न सामग्री प्राप्त की।

कमरा नं 1 में प्राप्त सामग्री:–

1. पोस मशीन सं. 17821 क्र.स. 111601143640 मॉडल GL-II कम्पनी VISION TEK मय चार्जर मिली।
2. 2. एक डिब्बें ने निम्न प्रकार के राशन कार्ड प्राप्त हुए

APL- 52+BPL-05+AAY-17 कुल:– 74 राशन कार्ड मिले। इन राशनकार्डो को राशन वितरण हेतू श्री लक्ष्मीकांत को सुपुर्द करने हेतू कब्जें में लिए गए। स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं मिला।

कमरा नं. 2 से प्राप्त सामग्री :–

प्लास्टिक एवचं जूट के कट्टों में गेहूं मिले। गेहूं प्लास्टिक की संख्या 80 व जूट के कट्टे 84 प्राप्त हुए प्लास्टिक के कट्टें में प्रति कट्टा ओसतन 50.500 किलो व जुट कट्टों में 50.700 किलो पाया गया, अतः कुल प्लास्टिक कट्टों का वजन 80x50.500=40.400 क्वि.+ कुल जूट के कट्टों का वजन 84x50.700=42.60 क्वि. पाया गया। कुल गेहुं की मात्रा 83.00 क्विं. प्राप्त हुए।उक्त खाद्यान्न सामग्री अस्थायी वितरण व्यवस्था लगाए गए वार्ड सं 2,6 एवं 7 के उ.मु.दू. श्री लक्ष्मीकांत पिता श्री दाडमचंद दी गयी। वक्त मौके पर उपरिथत शिकायतकर्ता उपभोक्ताओं ने बताया कि डीलर पिछले 3–4 महीनों से कोई खाद्यान्न नहीं दिया गया है। हमसे राशनकार्ड भी लिए गए और राशनकार्ड भी उ.मु.दु अपने कब्जे में ही रखता है। पूछने पर कहता है अगला माह फिर देना ही है तो पास ही रहने दो। पोस मशीन सें कभी भी पर्ची नही देता है। मौका जांच में उपरिथत उपभोक्ताओं से पूछताछ एवं राशनकार्डे जॉच में निम्न तथ्य पाये गये :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:43 IST
Reason: SelfAttested

क्र स.	नाम उपभोक्ता	राशनकार्ड संख्या	यूनिट संख्या	वितरण की विवरण
1.	गटुलाल/बाबु	113600400123	06	दिसम्बर 2018 तक 30 किलो गेहू देना दर्ज, जनवरी 2019 में खाद्यान्न देना दर्ज नहीं।
2.	बादुलाल/कालिया	113600400124	05	दिसम्बर 2018 तक 35 किलो गेहू देना दर्ज, जनवरी 2019 में खाद्यान्न देना दर्ज नहीं।
3.	शेरजवान/ अजीज खान	113600400134	02	दिसम्बर 2018 तक 35 किलो गेहू देना दर्ज, जनवरी 2019 में खाद्यान्न देना दर्ज नहीं।
4.	चंद खां/ शेरज खां	113600400126	05	दिसम्बर 2018 तक 25 किलो गेहू देना दर्ज, जनवरी 2019 में खाद्यान्न देना दर्ज नहीं।
5.	पना/ कनीराम	113600200207	05	दिसम्बर 2018 तक 35 किलो गेहू देना दर्ज, जनवरी 2019 में खाद्यान्न देना दर्ज नहीं।
6.	भगवती/ रमेश	200001342548	01	दिसम्बर 2018 तक 35 किलो गेहू देना दर्ज, जनवरी

				2019 में खाद्यान्न देना दर्ज नहीं।
7.	तीखा / कनीराम	113600200217	05	दिसम्बर 2018 तक 25 किलो गेहूं देना दर्ज, जनवरी 2019 में खाद्यान्न देना दर्ज नहीं।
8.	दोल्या / कनीराम	200001342142	05	दिसम्बर 2018 तक 35 किलो गेहूं देना दर्ज, जनवरी 2019 में खाद्यान्न देना दर्ज नहीं।
9.	कनीराम / चूना	13600200210	02	नवम्बर 2018 तक 35 किलो गेहूं देना दर्ज, दिसम्बर 2018 व जनवरी 2019 में खाद्यान्न देना दर्ज नहीं।

यह कि विभागीय आदेश क्रमांक एफ 39(49)खावि/आवंटन/2015–2 दिनांक 05.08.2016 एवं स्थानीय र्यालय के आदेश क्रमांक एफ 32( )रसद/शिकायत/2017/503 दिनांक 11.10.2017 द्वारा खाद्यान्न का वितरण भोक्ताओं को पोस मशीन द्वारा किया जाना एवं पोस मशीन की पर्ची दिया जाना अनिवार्य है। लेकिन उचित य दुकानदार द्वारा पोश मशीन से पर्ची नही देना पाया गया, खाद्यान्न का वितरण नियमित नही करना एवं भोक्ताओं से अभद्र व्यवहार करना पाया गया, जो कि विभागीय आदेशों का उल्लघंन है।

डीलर का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 खण्ड 6 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,9,11,15 एवं 17 सी का उल्लघंन है।

प्राप्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर श्री व्यवस्थापक लेम्पस कुशलगढ़, उचित मुल्य दुकानदार वार्ड सं 1 व 3 रपालिका कुशलगढ को कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांकः– रसद/प्रकरण संख्या 04/2019/2040 दिनांकः– 11. 2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने ; दिनांकः– 20.09.2019 तक का समय दिया गया था, लेकिन निर्धारित समयावधि में कोई जवाब पेश नहीं किया ा।

अतः उपरोक्तानुसार जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री व्यवस्थापक लेम्पस कुशलगढ, उचित मुल्य दुकानदार र्ड सं 1 व 3 नगरपालिका कुशलगढ़ का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाता है तथा अप्रार्थी डिलर की जमा शुदा क हजार रूपये प्रतिभूति राशि जब्त की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांकः– 20.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ (बांसवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज

तिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिला कलक्टर (रसद) बांसवाडा।
2. जिला रसद अधिकारी बांसवाडा।
3. प्रवर्तन निरीक्षक कुशलगढ को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में गंभीर अनियमितता एवं गबन पाये जाने से सम्बन्धित थाने में श्री व्यवस्थापक लेम्पस कुशलगढ़, उचित मुल्य दुकानदार वार्ड सं 1 व 3 नगरपालिका कुशलगढ के विरूद्व नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा कर अवगत करावे।
4. सम्बन्धित श्री व्यवस्थापक लेम्पस कुशलगढ़, उचित मुल्य दुकानदार वार्ड सं 1 व 3 नगरपालिका कुशलगढ।

उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़
उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:43 IST
Reason: SelfAttested

बांसवाड़ा (राज.)

3/10/22

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। अपील अपीलांट खारीज कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20/9/2019 को यथावत रखा जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)